

30प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद झांसी में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30-12-2024 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति:-

1. श्री रणवीर प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
2. श्री प्रशान्त शर्मा, विशेष सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, 30प्र0 शासन।
3. श्री रामरतन, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
4. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन (विशेष सचिव वित्त के प्रतिनिधि)।
5. श्री पंकज सिंह, सचिव एवं मुख्य परि0 अधि0, यूपीनेडा(निदेशक, यूपीनेडा के प्रतिनिधि)।

5/10/25 (NS) बैठक में जिलाधिकारी झांसी एवं निदेशक, यूपीनेडा द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

10/12/25 बैठक में अवगत कराया गया कि 30प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 03-08-2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।

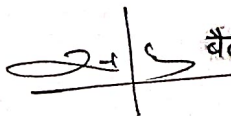
2- सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा अवगत कराया गया कि 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जनपद झांसी में 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के लिए आवेदन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी झांसी के आदेश संख्या 638/12638/12ए-डीएलआरसी/2024-25/पुर्नग्रहण/ऊर्जा स्रोत दिनांक 13-11-2024 द्वारा तहसील गरौठा के ग्राम डुमरई में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 463.058 हे0 (1144.24 एकड़) भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

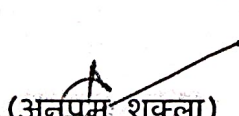
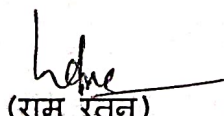
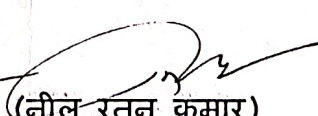
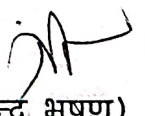
3- सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा एन0टी0पी0सी0 ग्रीन के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में उक्त परियोजना स्थापित की जा रही है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम डुमरई में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए जिलाधिकारी झांसी द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि 463.058 हे0 (1144.24 एकड़) 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर रू0 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर 30 वर्ष के लिए लीज पर उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

4- राज्य स्तरीय समिति में प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा जिलाधिकारी झांसी से विचार विमर्श के उपरान्त जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम डुमरई में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए जिलाधिकारी झांसी द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को लीज पर आवंटित 463.058 हे0 (1144.24 एकड़) भूमि 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को रू0 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जाने के संबंध में निदेशक, यूपीनेडा द्वारा की गयी संस्तुति को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार किया गया:-

- 1- 30प्र0 सौर ऊर्जा नीति 2022/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 2- स्वीकृति की तिथि से 01 माह के भीतर अनुबंध कर लिया जाएगा।
- 3- 06 माह में परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
- 4- 18 माह में परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा।

समिति के सदस्य के रूप में जिलाधिकारी, झांसी द्वारा वर्चुअल माध्यम से सहमति दी गयी।

 बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

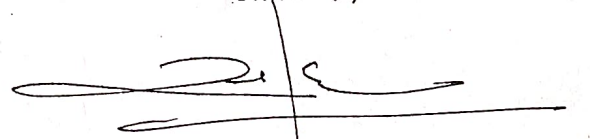
 (अनुपम शुक्ला) निदेशक, यूपीनेडा	 (राम रतन) विशेष सचिव, राजस्व विभाग	 (नील रतन कुमार) विशेष सचिव, वित्त विभाग	 (नरेन्द्र भूषण) अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
--	---	---	--

उत्तर प्रदेश शासन
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संख्या 126/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2025
लखनऊ: दिनांक ३ ^{फरवरी} जनवरी, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
- ✓ 3. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, झाँसी ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।